न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

मद्यनिषेध और उत्पाद वाद संख्या–94/2017

राज्य बनाम संतोष तांती

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
19.9.2017	**आदेश**	

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–4273/सी0आर0, दिनांक 23.08.2017 के द्वारा अपराधकर्मी संतोष तांती, पिता–स्व0 नन्द किशोर तांती, साकिन–बबुआगंज, थाना+जिला–खगड़िया को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधिक मुकदमें खगड़िया नगर थाना में दर्ज है:–

01. खगड़िया नगर थाना कांड संख्या–572/2016 दिनांक 25.09.2016 धारा–47(ए)/54/57 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या–901/2016 दिनांक 22.11.2016

02. खगड़िया (मु0) थाना कांड संख्या–318/2017 दिनांक 12.05.2017 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या–348/2017 दिनांक 29.5.2017।

मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यो के द्वारा आदतन शराब कारोबारी है। चोरी छिपे शराब को रखने एवं बेचने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उक्त दो कांड में जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा कभी भी जमानत का दुरूपयोग शराब रखने या बेचने में नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्त को इस कांड में एक राजनीति के तहत दबंग व्यक्तियों के द्वारा फसाया गया है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया।

प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभिुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है एवं खगड़िया नगर थाना अर्न्तगत निरन्तर शराब रखने एवं बेचने के कारण मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अर्न्तगत ये आदतन की श्रेणी में आते है। इन्हें प्रथम बार खगड़िया नगर थाना कांड संख्या–572/2016 में सितम्बर 2016 में गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छुटने के पश्चात ये पुनः शराब के व्यापार में लगे रहे तथा पुनः खगड़िया (मु0) थाना कांड संख्या–318/2017 के अर्न्तगत माह मई 2017 में गिरफ्तार किए गए। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का प्रर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के कारोबार से संबंधित कृत्यों में लगे रह सकते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3

संतोष तांती को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया है। उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथ्यों से परे है। अपने बचाव मे उत्तरवादी अपनी पारिवारिक स्थिति का विवरण देते हुए यह तर्क दिया गया कि उन्हें फंसाया गया है परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य आदि संलग्न न करने के कारण उनका तर्क अस्वीकार्य है।

संतोष तांती के कार्य वृत तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनके गतिशील रहने की स्थिति में मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66(3)(क) अंतर्गत आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्त्ता, खगड़िया मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत संतोष तांती, पिता–स्व0 नन्द किशोर तांती, साकिन–बबुआगंज, थाना+जिला-खगड़िया का निर्दिष्ट दिनाक 20.09.2017 से अगले 6 (छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित करता हूँ।

संतोष तांती, पिता–स्व0 नन्द किशोर तांती, साकिन–बबुआगंज, थाना+जिला खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.09.2017 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात 20.03.2017 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगें। बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत पारित इस आदेश का उल्लंधन किए जाने की दशा में धारा 70 के अन्तर्गत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि संतोष तांती की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले के सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर जिला खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्दाज स्टेशन डायरी में किया जाएगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष खगड़िया नगर/थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता 19/9/17
खगड़िया

समाहर्त्ता 19/9/17
खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 322 / विधि, दिनांक 20/9/2017 प्रतिलिपिः–संतोष तांती पे0–स्व0 नन्द किशोर तांती, साकिन–बबुआगंज थाना+जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि–थानाध्यक्ष, खगड़िया नगर/ चित्रगुप्तनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 20/9/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 20/9/2017	